

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रोत्तर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

- | | |
|---------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |
| अधिनियम में संशोधन | 2. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में "शारीरिक रूप से विकलांग" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वह आते हैं, "दिव्यांगजन" शब्द रख दिये जायेंगे। |
| धारा 2 का संशोधन | 3. मूल अधिनियम की धारा 2 में खण्ड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-
“(ड) “शारीरिक दिव्यांगता” का तात्पर्य उन दिव्यांगताओं से है जो इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।” |
| धारा 3 का संशोधन | 4. मूल अधिनियम की धारा 3 में-
(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नवत् उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् :-
“(1) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर निम्नलिखित आरक्षण अनुमन्य होगा:-
(एक) लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए और रिक्तियों का पांच प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए;
(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अभिज्ञात करें, प्रत्येक समूह के पदों में संवर्ग सदस्य संख्या में कुल रिक्तियों की संख्या का अन्यून चार प्रतिशत, संदर्भित दिव्यांगजनों से भरा जाना तात्पर्यित है जिसमें से एक-एक प्रतिशत, खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए और एक प्रतिशत खण्ड (घ) और (ड) के अधीन संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किया जायेगा, अर्थात्:- |

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

- (क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि;
 (ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास;
 (ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी दिव्यांगता;
 (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक अस्वस्थता;
 (ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिव्यांगता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है,"

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नवत् उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् :-

"(3) उपधारा (1)(एक) एवं (1)(दो) हेतु आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई, चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा। इसी प्रकार यदि वह सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित श्रेणी में रखा जायेगा;

परन्तु यह कि उपधारा (1)(एक) हेतु आरक्षित रिक्तियों को श्रेणीवार वर्गीकृत किया जा सकेगा; अर्थात् स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं पूर्व सैनिक हेतु अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण की गणना प्रत्येक श्रेणीवार पृथक-पृथक की जा सकेगी।"

(iii) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नवत् उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् :-

"(5) जहां उपधारा (1)(दो) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रेनीत किया जायेगा:

परन्तु यह कि उपधारा (1)(एक) हेतु आरक्षित रिक्तियों पर उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले उपयुक्त अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।"

अनुसूची का
अंतःस्थापन

5.

मूल अधिनियम में निम्नलिखित अनुसूची अन्त में अंतःस्थापित कर दी जायेगी।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

अनुसूची

धारा 2 का खण्ड (ड) देखें
विनिर्दिष्ट शारीरिक दिव्यांगता

1. शारीरिक दिव्यांगता:-

क. चलनक्रिया सम्बन्धी दिव्यांगता (व्यक्ति की विशिष्ट गतिविधियों को करने में असमर्थता, जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाली या तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:-

(क) "कुष्ठ उपचारित व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कुष्ठ से उपचारित है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है, -

(एक) हाथ या पैरों में संवेदना का ह्रास के साथ साथ आँख और पलक में संवेदना का ह्रास और आंशिक घात किन्तु व्यक्त विरूपता नहीं है;

(दो) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किन्तु अपने हाथों और पैरों में पर्याप्त चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;

(तीन) अत्यन्त शारीरिक विकृति के साथ-साथ वृद्धावस्था, जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और पद "कुष्ठ व्यक्ति" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) "प्रमस्तिष्क घात" का तात्पर्य अविकासशील तंत्रिका सम्बन्धी अवस्थाओं के किसी समूह से है जो शरीर के चलन और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती हैं, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है, साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरन्त पश्चात् होती है;

(ग) "बौनापन" का तात्पर्य किसी चिकित्सीय या आनुवांशिक दशा से है जिसके परिणाम स्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की ऊँचाई चार फीट दस इंच (147 से.मी.) या उससे न्यून रह जाती है;

(घ) "ऐसी दुष्पोषण" का तात्पर्य वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग के किसी समूह से है जो मानव शरीर को संचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है, जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वास्थ्य पेशियों के लिए आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता अनुक्रमिक अस्थिपंजर, पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटियाँ और पेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु है;

(ङ) "अम्ल आक्रमण पीड़ित" का तात्पर्य अम्ल या समान रांक्षारित पदार्थ फेंकने के द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण विरूपित किसी व्यक्ति से है।

ख. दृष्टि ह्रास-

(क) "अंधता" का तात्पर्य ऐसी दशा से है जहाँ सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् किसी व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है:-

(एक) दृष्टि का पूर्णतया अभाव; या

(दो) सर्वोत्तम सम्भव सुधार के साथ अच्छी आँख दृष्टि

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

संवेदनशीलता 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से अन्यून; या (तीन) 10 डिग्री से कम किसी कक्षांतरित कोण पर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) "निम्न दृष्टि" का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्:-

(एक) बेहतर आंख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ-साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) दृश्य संवेदनशीलता; या

(दो) 40 डिग्री से कम 10 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र की सीमाएं।

ग. श्रवण शक्ति का ह्रास-

(क) "बधिर" का तात्पर्य दोनों कानों में संवाद आवृतियों से 70 डिसिबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्तियों से है;

(ख) "ऊँचा सुनने वाले व्यक्ति" का तात्पर्य दोनों कानों से संवाद आवृतियों में 60 डिसिबिल से 70 डिसिबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति से है।

घ. "अभिवाक् और भाषा दिव्यांगता" का तात्पर्य लेराइनजेक्टोमी या अफेसिया जैसी स्थितियों से उदभूत होने वाली स्थायी दिव्यांगता से है, जो कार्बनिक या तंत्रिका सम्बन्धी कारणों से अभिवाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2. "बौद्धिक दिव्यांगता" ऐसी स्थिति है, जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहारिक कौशल श्रृंखला आच्छादित है, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट है :-

(क) "विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता" का तात्पर्य स्थितियों के किसी ऐसे विजातीय समूह से है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है जो बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणनाओं को समझने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत ऐसी स्थितियां सम्मिलित है यथा-बोधक दिव्यांगता, डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया भी सम्मिलित है;

(ख) "स्वलीनता स्पैक्ट्रम विकार" का तात्पर्य किसी ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति से है जो आमतौर पर जीवन के प्रथम तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और प्रायः यह असामान्य या धिसे-पिटे कर्मकांडों या व्यवहारों से सहबद्ध होता है।

3. मानसिक व्यवहार-

"मानसिक रूग्णता" का तात्पर्य चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति के सारभूत विकार से है जो जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या

प्रमाणित प्रति

लोक सूर्यना अधिकारी
विभाजक सभा इन्डियाना
उत्तराखण्ड

योग्यता को प्रभावित करता है किन्तु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता, बुद्धिमत्ता का सामान्य से कम होना है।

4. निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता—

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं जैसे, —

(एक) "बहु-स्केलेरोसिस" का तात्पर्य प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग से है, जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है,

(दो) "पार्किंसन रोग" का तात्पर्य तंत्रिका प्रणाली के किसी प्रगामी रोग से है, जिसके द्वारा कम्प, पेशी, कठोरता और धीमा, कठिन चलन, मुख्यतया मध्य आयु वाले और वृद्ध लोगों से सम्बंधित मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामाइन के ह्रास से संबद्ध हो।

(ख) रक्त विकृति, —

(एक) "हेमोफीलिया" का तात्पर्य किसी आनुवंशिकीय रोग से है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किन्तु इसे महिला द्वारा अपने पुरुष बालकों को संप्रेषित किया जाता है। इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे गौण घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है,

(दो) "थेलेसीमिया" का तात्पर्य वंशानुगत विकृतियों के किसी समूह से है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है;

(तीन) "सिक्कल कोशिका रोग" का तात्पर्य होमोलेटिक विकार से है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीडादायक घटनाओं, और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है,

स्पष्टीकरण— "हेमोलेटिक", लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5. बधिरता, अंधता सहित बहुदिव्यांगता (रूपर विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक दिव्यांगता) का तात्पर्य ऐसी किसी दशा से है जिसमें किसी व्यक्ति को श्रव्य और दृश्य का सम्मिलित ह्रास हो सकता है जिसके कारण संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर समस्याएँ होती हैं।

6. कोई अन्य श्रेणी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।"

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) में निहित व्यवस्था के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा पूर्व सैनिकों हेतु सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों के आधार पर क्षैतिज आरक्षण की गणना समेकित रूप से की जाती है और इन दोनों क्षैतिज आरक्षण हेतु अग्रणीत किये जाने की व्यवस्था है, जिससे उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग तथा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को परीक्षा परिणाम तथा प्रवीणता सूची तैयार करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। उक्त कठिनाई का निराकरण किया जाना आवश्यक है।

2. अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की कतिपय धाराओं में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

3. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

8

The Uttarakhand (Uttar Pradesh Public Service (Reservation For Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainiks) Act, 1993) (Amendment) Bill, 2025

A
Bill

further to amend the Uttar Pradesh Public Service (Reservation For Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainiks) Act, 1993 (Adaptation and Modification Order, 2002) in the context of State of Uttarakhand,

Be it enacted by Uttarakhand legislature in the Seventy Sixth year of Republic of India as follows:-

- | | | |
|-------------------------------------|----|--|
| Short title and Commencement | 1. | (1) This Act may be called the Uttarakhand (Uttar Pradesh Public Service (Reservation For Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainiks) Act, 1993) (Amendment) Act, 2025.
(2) It shall come into force at once. |
| Amendment in Act | 2. | In the Uttar Pradesh Public Service (Reservation For Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainiks) Act, 1993 (Adaptation and Modification Order, 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "Physically Handicapped" word, where ever they occur "Persons with Disability" shall be substituted. |
| Amendment of section 2 | 3. | In principal Act clause (e) of section 2, shall be substituted as follows, namely:-
“(e) Physical Disability means the disabilities as specified in the Schedule appended to this Act.” |
| Amendment of section 3 | 4. | In principal Act in section 3,—
(i) sub-section (1) shall be substituted as follows, namely:-
“(1) In the procedure for direct recruitment the permissible reservation shall be as follows:—
(i) In public services posts 2% of the vacancies for dependents of freedom fighters and 5% of the vacancies for Purva Sainiks;
(ii) In such public services and posts as the State Government may, by notification, identify not less than four percent, of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts meant to be filled with persons with |

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

benchmark disabilities of which, one percent each shall be reserved for persons with benchmark disabilities under clauses (a), (b) and (c) and one percent for persons with benchmark disabilities under clauses (d) and (e), namely:-

(a) blindness and low vision;

(b) deaf and hard of hearing;

(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness;

(e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities.”

(ii) sub-section (3) shall be substituted as follows, namely:-

“(3) Persons selected against vacancies reserved under sub-section (1)(i) and (1)(ii) shall be placed in the categories to which they belong. For example, if a person selected belongs to the Scheduled Caste category, he shall be placed in the respective quota after making necessary adjustments, if a person selected belongs to the Scheduled Tribe category, he shall be placed in the respective quota after making necessary adjustments, if a person selected belongs to the Other Backward Class category, he shall be placed in the respective quota after making necessary adjustments, if a person selected belongs to the Economically Weaker Section category, he shall be placed in the respective quota after making necessary adjustments. In same way if a person selected belongs to the General category, he shall be placed in the respective category after making necessary adjustments:

Provided that the vacancies reserved for sub-section (1)(i) may be classified category-wise; namely, the horizontal reservation permissible for dependents of freedom fighters and Purva Sainik may be calculated separately for each category.”

(iii) sub-section (5) shall be substituted as follows, namely:-

“(5) Where any of the vacancies reserved under

प्रमाणित प्रति

लोक श्रमणा अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

sub-section (1)(ii) remains unfilled due to non-availability of suitable candidates, the same shall be carried forward for next recruitment:

Provided that in case of non-availability of suitable candidates for the vacancies reserved under sub-section (1)(i) such posts shall not be carried forward but may be filled up by suitable candidates belonging to the same category comes in order of merit."

Insertion of Schedule

5.

In the principal Act, the following schedule shall be inserted at the end.

SCHEDULE

(See clause (e) of section 2)

Specified Physical Disability

1- Physical disability—

A. Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eyelid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(b) "cerebral palsy" means a group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterised by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissues;

(e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

B. Visual impairment—

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

(i) total absence of sight; or

(ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or

(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

(i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or

(ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

C. Hearing impairment—

(a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears.

D. "speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. Intellectual disability, a condition characterised by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behaviour which covers a range of every day, social and practical skills, including—

(a) "Specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken

प्रमाणित प्रति

लोक श्रवणा अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

(b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. Mental behaviour,—

"mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognise reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterised by subnormality of intelligence.

4. Disability caused due to,—

(a) chronic neurological conditions, such as—

(i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;

(ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked "by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder,—

(i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding;

(ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterized by reduced or absent

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

amounts of haemoglobin.

(iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterized by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage;

Explanation:- "hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of haemoglobin.

5. Multiple Disabilities (more than one of the 'above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

6. Any other category as may be notified by the State Government."

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में संशोधन किये जाने विषयक है।

प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Statement of Objects and Reasons

According to the provision of the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainiks) Act, 1993 (Adaptation and Modification Order, 2002) the horizontal reservation is calculated in an integrated manner on the basis of vacancies in the process of direct recruitment for dependents of freedom fighters and purva sainiks and there is a provision for carrying forward these two horizontal reservations, due to which Uttarakhand Public Service Commission and Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission are facing difficulty in preparing the examination result and merit list. It is necessary to resolve the said difficulty.

2. Therefore, in view of the above, amendment in certain sections of Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Purva Sainiks) Act, 1993 is required.

3. The proposed Bill fulfills above objective.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister.

प्रमाणित प्रति


 लोक सभना अधिकारी
 विधान सभा सचिवालय
 उत्तराखण्ड